केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
एवं
हिंदी शिक्षण योजना

स्थापना

- संघ की राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों को क्रियान्वित करने तथा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि केंद्र सरकार में कार्यरत जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में हिंदी शिक्षण योजना शुरू की गई।
- राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं।
- राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार हिंदी न जानने वाले केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।
- सन 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण भी आरंभ किया गया।
- सन 1974 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्मिकों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया ।
- सन 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया ।
- हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनके अधीन देश के विभिन्न स्थानों पर जहां केंद्र सरकार के कार्मिक पर्याप्त संख्या में कार्यरत हैं वहां प्रशिक्षण हेतु पूर्णकालिक तथा जहां प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, वहां अंशकालिक केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

संस्थान एवं उपसंस्थान

- नए भर्ती कार्मिकों को सरकारी सेवा में आते ही हिंदी भाषा/हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन गहन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सन 1985 में नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई ।

- वर्ष 1988 में मुंबई, कोलकाता एवं बेंगलुरु में तीन उप संस्थानों की स्थापना की गई ।
- वर्ष 1990 में चेन्नै और हैदराबाद में दो और उप संस्थानों की स्थापना की गई ।

विज़न

- केंद्र सरकार तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, सांविधिक निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि में दक्षता प्रदान करना, जिससे संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में सभी शासकीय कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित किए जा सकें।

मिशन

- केंद्र सरकार एवं इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निकायों, निगमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी हिंदीतर भाषा भाषी कार्मिकों को वर्ष 2025 तक हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान एवं दक्षता प्रदान कराना है, जिससे वे कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर सकें।
- साथ ही अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों, डाक सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूर संचार सहायकों, कर सहायकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और सभी ग्रेड के आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देना, जिससे वे राजभाषा हिंदी में कार्य करने में दक्षता हासिल कर सकें।

अभिदेश (Mandate)

- सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार के कार्मिकों के साथ-साथ केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, उद्यमों,स्वायत्तशासी निगमों, निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्मिकों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े कार्मिकों के लिए 'अभिमुखी कार्यक्रम' संचालित करना।
- भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में सक्षम बनाने के लिए 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' संचालित करना।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत कार्मिकों के लिए 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति' के तहत 'पुनश्चर्या कार्यक्रम' संचालित करना।
- संघ सरकार एवं इसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, उद्यमों,स्वायत्तशासी निगमों, निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कार्मिकों को शासकीय कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करने, दक्षता प्रदान करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/सॉफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करने के लिए 'गहन हिंदी कार्यशालाओं' का आयोजन करना।
- हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाएं खोलना, जिनमें लिंग्वाफोन रिकार्ड तथा अन्य हिंदी भाषा शिक्षण के दृश्य-श्रव्य उपकरणों तथा कंप्यूटरों की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त चार्टों, पोस्टरों, लघु-चित्रों आदि की सहायता से हिंदी में दिए जा रहे प्रशिक्षण को रोचक और ग्राह्य बनाना।

- उच्च अधिकारियों तथा उप सचिव, निदेशक आदि को राजभाषा नीति और सांविधिक व्यवस्था आदि की अद्यतन जानकारी कराना।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों की, जो संयुक्त सचिव स्तर के होते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित करना।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन के सेमिनार आयोजित करना।

नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कार्मिकों को विहित शर्तें पूरी करने पर उनके संबंधित कार्यालयों द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त वे नियमानुसार वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार भी होते हैं।

- **प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं**

  1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पढ़ाई और परीक्षा की फीस नहीं ली जाती ।
  2. पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
  3. कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं।
  4. कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  5. परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता /वास्तविक खर्च दिया जाता है।
  6. राजपत्रित अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए अलग कक्षाएं भी चलाई जाती हैं।
  7. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की छूट है।
  8. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवा पंजी में इंदराज किया जाता है।
  9. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों पर आयकर नहीं लगता।
  10. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जारी किए गए प्रमाणपत्र को अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित बनाए जाने, वेतन वृद्धि को प्राप्त करने आदि के प्रयोजनार्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के बराबर माना जाता है।

1. हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालय

देशभर में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यवस्थित संचालन के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधीन पाँच क्षेत्रीय कार्यालय- पूर्व (कोलकाता), पश्चिम (मुंबई), दक्षिण (चेन्नै), पूर्वोत्तर (गुवाहाटी) तथा मध्योत्तर (नई दिल्ली) में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की देख-रेख की ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय उप निदेशकों की होती है। जिन नगरों में क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालय नहीं हैं

वहाँ केंद्र सरकार के स्थानीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, इन्हें 'सर्वकार्यभारी अधिकारी' कहा जाता है।

हिंदी शिक्षण योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	मुख्यालय	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य एवं संघ शासित प्रदेश
1	पूर्व क्षेत्र	कोलकता	पश्चिम बंगाल, उडीसा, बिहार, झारखंड तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
2	पश्चिम क्षेत्र	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप।
3	दक्षिण क्षेत्र	चेन्नै	तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी।
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणालय प्रदेश।
5	मध्योत्तर क्षेत्र	नई दिल्ली	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा चंडीगढ़ ।

<u>हिंदी प्रशिक्षण व्यवस्था</u>

क. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(दीर्घकालिक प्रशिक्षण)

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों में केंद्र सरकार तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/निकायों/बैंकों आदि में कार्यरत कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण पूर्णकालिक / अंशकालिक केंद्र स्थापित कर दिया जाता है। हिंदी शिक्षण योजना के वर्ष में 2 प्रशिक्षण सत्र होते हैं तथा इसके प्रशिक्षण केंद्रों पर कार्यालय समय में प्रतिदिन एक-एक घंटे या एकांतर दिवस पर दो-दो घंटे की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं।

1. पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र-

जिन शहरों में केंद्र सरकार के कार्मिक पर्याप्त संख्या में कार्यरत हैं, वहाँ पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाते हैं तथा इन केंद्रों पर सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि) तथा हिंदी प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया जाता है।

2. अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र -

जिन शहरों में प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, वहाँ अंशकालिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं और इन केंद्रों पर अंशकालिक प्रशिक्षकों द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जाता है।

उक्त प्रशिक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों की मांग के आधार पर "इन हाउस'" तथा "आउट रीच" माध्यम से "पाँच दिवसीय कक्षाओं में पढ़ाई के हिंदी भाषा और हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम" भी संचालित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों/हिंदी प्राध्यापकों द्वारा किया जाता है। इन कार्यक्रमों के तहत हिंदी भाषा का प्रशिक्षण राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए "लीला साफ्टवेयर" के आधार पर दिया जाता है।

ख. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(अल्पकालिक)

1. पूर्ण कार्य दिवसीय: गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिंदी प्रशिक्षण की निरंतर बढ़ती हुई मांग तथा उसके विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण की पूरक व्यवस्था के रूप में नए भर्ती कार्मिकों को भर्ती के उपरांत ही प्रशिक्षित किए जाने हेतु, दिनांक 31 अगस्त,1985 को नई दिल्ली में 'केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना की गई। तदोपरांत मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बैंगलूर तथा हैदराबाद में पांच उप संस्थानों की भी स्थापना की गई।

संस्थान/उपसंस्थानों के अंतर्गत हिंदी भाषा - प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ व पारंगत तथा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम 'पूर्ण कार्य दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों' के रूप में संचालित किए जाते हैं।

2. पत्राचार पाठ्यक्रम: हिंदी भाषा एवं हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

देशभर के दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां हिंदी प्रशिक्षण के केंद्र नहीं हैं, वहाँ तैनात तथा प्रचालन कार्मिकों और ऐसे कार्मिक जो कार्य की प्रकृति व दायित्व के कारण हिंदी प्रशिक्षण की नियमित कक्षाओं के लिए समय नहीं निकाल सकते, उनके लिए वर्ष 1990 से हिंदी भाषा- प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा 1991 से हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण पत्राचार के माध्यम से भी दिया जा रहा है।

3. हिंदी कार्यशालाएँ/ अभिमुखी एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निगमों, निकायों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करने, हिंदी में काम करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/ साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करने हेतु "कार्यशालाओं" का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े अधिकारियों के लिए "अभिमुखी कार्यक्रम" तथा ऐसे संकाय सदस्य जो अँग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में

प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों" का आयोजन किया जाता है। साथ ही केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के कार्मिकों के लिए 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के तहत "पुनश्चर्या कार्यक्रम" संचालित किए जाते हैं।

केंदीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों का स्वरूप

हिंदी भाषा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम एवं उनकी अवधि

	हिंदी शिक्षण योजना (दीर्घकालिक)	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्पकालिक) गहन (पूर्ण कार्यदिवसीय)**	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (भाषा पत्राचार)**	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान /हिंदी शिक्षण योजना (अल्पकालिक /Validation Courses)***
प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ
अवधि	05 माह	25, 20, 15, 20 पूर्ण कार्यदिवसीय	01 वर्ष (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए)	05 पूर्ण कार्यदिवसीय (कक्षा में पढ़ाई के)
सत्र	वर्ष में 02 सत्र (i) जनवरी - मई (ii) जुलाई - नवंबर	वर्ष में 03 सत्र (i) जनवरी - मार्च (ii) मई - जुलाई (iii) सितंबर - नवंबर	वर्ष में 01 सत्र जुलाई - मई	अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर 'इनहाउस' एवं 'आउटरीच' माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

केंदीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	**कार्यक्रम**	**अवधि**
1.	हिंदी कार्यशालाएँ	5 पूर्ण कार्यदिवस
2.	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	5 पूर्ण कार्यदिवस
3.	पुनश्चर्या कार्यक्रम	5 पूर्ण कार्यदिवस
4.	प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 पूर्ण कार्यदिवस

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम/कार्यक्रम एवं उनकी अवधि

पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम	**हिंदी शिक्षण योजना (दीर्घकालिक)**	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्पकालिक) गहन (पूर्ण कार्यदिवसीय)**	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (टंकण पत्राचार)**	**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना (अल्पकालिक /Validation Course)***
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अवधि 6 माह प्रतिदिन एक घंटा वर्ष में दो सत्र फरवरी से जुलाई तथा अगस्त से जनवरी	अवधि 40 पूर्ण कार्य दिवस वर्ष में 5 सत्र जनवरी से मार्च मार्च से मई जून से जुलाई अगस्त से अक्तूबर अक्तूबर से दिसंबर	अवधि 6 माह वर्ष में दो सत्र फरवरी से जुलाई तथा अगस्त से जनवरी	5 पूर्ण कार्य दिवस (कक्षा में पढ़ाई) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर 'इनहाउस' एवं 'आउटरीच' माध्यम से संचालित किए जाते हैं।
हिंदी आशुलिपि	अवधि 1 वर्ष प्रतिदिन एक घंटा वर्ष में एक सत्र फरवरी से जनवरी तथा अगस्त से जुलाई	अवधि 80 पूर्ण कार्य दिवस वर्ष में 2 सत्र जनवरी से मई अगस्त से दिसंबर	--	

6. पाठ्य-पुस्तकें एवं सहायक सामाग्री

हिंदी भाषा	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि
प्रबोध पाठमाला	हिंदी शब्द संसाधन
प्रबोध अभ्यास पुस्तिका	देवनागरी टाइपराइटिंग प्रशिक्षक
प्रवीण पाठमाला	मानक आशुलिपि
प्रवीण अभ्यास पुस्तिका	मानक उच्च गति अभ्यास-पुस्तिका
प्राज्ञ पाठमाला	आशुलिपि - संक्षिप्त रेखाक्षर
प्राज्ञ अभ्यास पुस्तिका	
पारंगत पाठमाला	
पारंगत अभ्यास पुस्तिका	
कार्यशाला संदर्शिका	
राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए "लीला" -प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अँग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं में ऑन-लाइन उपलब्ध हैं ।	

परीक्षाएँ एवं परीक्षा परिणाम

- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा के जनवरी-मई सत्र की परीक्षाएँ प्रति वर्ष मई के तीसरे/चौथे सप्ताह में तथा जुलाई-नवंबर सत्र की परीक्षाएँ नवंबर के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं ।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की फरवरी-जुलाई सत्र की परीक्षाएँ जुलाई के तीसरे/चौथे सप्ताह तथा अगस्त-जनवरी सत्र की परीक्षाएँ जनवरी के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं ।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के मध्यमकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की परीक्षाएँ प्रत्येक सत्र के अंतिम कार्यदिवस को आयोजित की जाती हैं तथा परीक्षा परिणाम 10 दिन के अंदर घोषित कर दिया जाता है।
- परीक्षा समाप्त होने के पश्चात सामान्यत: एक महीने के भीतर परीक्षा परिणाम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं ।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उप संस्थानों के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ प्रत्येक पाठ्यक्रम की समाप्ति के अंतिम दिन आयोजित की जाती है तथा परीक्षा परिणाम 10 दिन के अंदर घोषित कर दिया जाता है।

- हिंदी भाषा के जिन गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर 'ऑनलाइन परीक्षाएँ' आयोजित की जा रही हैं, उनका परीक्षा परिणाम उसी दिन शाम तक घोषित कर दिया जाता है।
- सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं।